गिट्टी की खदान में जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्थिति

(मध्यप्रदेष के अलीराजपुर जिले के विषेष संदर्भ में)

कुसुम धार्वे अर्थषास्त्र

पीएच.डी. षोधार्थी, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विष्वविद्यालय,
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इन्दौर (म.प्र.), भारत

सारांष : अध्ययन क्षेत्र अलीराजपुर जिले में गिट्टी की खदान में कार्यरत जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिले में आर्थिक रूप से गिट्टी की खदान में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति श्रमिक है। जनजाति समाज में श्रमिक की स्थिति अत्यन्त पिछड़ी है क्योंकि जनजाति समुदाय दूर अँचलों, पहाड़ी भाग के इलाके में निवास करते है जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गिट्टी की खदान में कार्य करते हैं। खदान में कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति श्रमिक के प्रतिदिन की आय एवं मासिक आय का विष्लेषण करके उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। आर्थिक आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु जनजाति श्रमिक मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। गिट्टी की खदान को जनजाति श्रमिक एक आय का साधन मानते है, अधिकतर जनजाति श्रमिक कार्य नहीं मिलने के कारण खदान को एक व्यवसाय मान लेते है। जनजाति श्रमिक मजदूरी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्य करते है यह श्रमिक षारीरिक और मानसिक तनाव रहित मजदूरी प्राप्त करते है। श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त होने से कार्य के प्रति उनकी रूचि बढती है।जनजाति श्रमिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए खदान में कार्य करते है श्रमिक की आय उनकी कार्य करने पर निर्भर रहती है। अलीराजपुर जिले में गिट्टी की खदान में कार्य करने वाले श्रमिक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के होते है। वे पैदल चलकर कार्यस्थल तक पहुँचते है खदान में कार्य करने वाले श्रमिक के आर्थिक स्तर में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। श्रमिक खदान में कार्य करके आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास करते है।

कुँजी षब्द : गिट्टी की खदान, जनजाति श्रमिक, आर्थिक स्थिति,

प्रस्तावनाः भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 8.2 प्रतिषत पायी जाती है। प्रायः देष की जनजाति समुदाय मुख्य धारा से कटे हुए प्रतीत होते है इन जनजाति का निवास स्थान दूर–दराज पहाड़ी इलाके जहाँ पर जनजाति जीवन निर्वाह के लिए हमेषा कृषि एवं मजदूरी पर आश्रित रहती आयी है। अध्ययन क्षेत्र में गिट्टी की क्रेषर मषीन भूमि के नीचे लगभग तीन से चार फिट गहराई में दबी हुई होती है यह खदान अधिकतर काले पत्थर की जगह पर स्थापित की जाती है। पत्थर को मषीन की सहायता से पीसकर गिट्टी बनायी जाती है गिट्टी का उपयोग अनेक प्रकार के कार्य में किया जाता है जैसे–मकान बनाना, पुलिया बनाना, रोड बनाना, डेम बनाना, तालाब बनाना, बड़े–बड़े बाँध बनाना आदि के निर्माण में काम आती है। गिट्टी की खदान में अधिकांषतः अनुसूचित जनजाति के श्रमिक अनेक प्रकार के कार्य करते है। लेकिन इनकी पारिश्रमिक दर में कमी होने के कारण श्रमिक की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है आर्थिक रूप से श्रमिक गिट्टी की खदान में दैनिक वेतन भोगी मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं।

मध्यप्रदेष राज्य विभिन्न जनजातियों समूहों का निवास स्थान रहा है क्योंकि श्रम न केवल समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है बल्कि कार्यरत श्रमिक के लिए श्रम आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र साधन कहलाता है। व्यवसाय मनुष्य के द्वारा किसी संगठन के प्रयास के संयुक्त श्रम के द्वारा उपलब्ध किया गया वह स्थान है जो उनकी प्रतिक्रिया को निर्धारित करती है। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य कुछ निष्चित समय में निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करता है। इसका प्रमुख कारण मुद्रा या सेवाओं का परिवर्तन होना है। श्रमिक खदान में मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते है। जनजाति श्रमिक में पुरूष की तुलना में महिलाओं को पारिश्रमिक दर कम प्राप्त होता है क्योंकि खदान में पुरूष श्रमिक महिला श्रमिक की तुलना में कठिन कार्य करते हैं। खदान में पारिश्रमिक का प्रभाव श्रमिक को षक्तिषाली रूप से प्रभावित करती है इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए जनजाति श्रमिक एक दूसरे से आश्रित रहते है। श्रमिक के अलग–अलग कार्य के प्रति सभी श्रमिक का एक समान पारिश्रमिक मिलना संभव नहीं होता है।

खदान के अंतर्गत अनेक भाग तथा उपविभाग में जनजाति श्रमिक कार्य के प्रति क्रियाषील रहते है इनमें से प्रत्येक भाग तथा उपभाग में अनेक श्रमिक सदस्य होते हैं जो अपने आर्थिक हिस्से की पूर्ति के लिए कार्य करते है। जनजाति समुदाय अंधविष्वास रूढ़िवादी एवं परम्पराओं में अधिक विष्वास करती है जिसके कारण आय का खर्च अतिरिक्त अधिक होता है। जनजाति की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति का

क्रियान्वयन करना होता है। खदान में समस्त श्रमिक को एक जैसा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ताकि कार्य करने से श्रमिक की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। आधुनिक समय में कृषि जोत के छोटे होने के कारण श्रमिक की व्यवसायिक अर्थव्यवस्था मजदूरी ही मानी जाती है। व्यवसाय वह आधार है जो इनकी जीविका का साधन माना जाता है अनुसूचित जनजाति आदिकाल से किसी न किसी कार्य को सम्पादित करती आ रही है। अनादिकाल से लेकर आज तक आदिवासी श्रमिक का मुख्य व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अनेक प्रकार की मजदूरी करके परिवार का पालन–पोषण करना प्रमुख कार्य रहा है। अध्ययन क्षेत्र में जनजाति समाज रोजगार के अवसर के लिए अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र की और हस्तांतरित हो रहे है। जनजाति समूह के क्षेत्र का विकास एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि जनजाति गिट्टी की खदान के अतिरिक्त और अन्य बेहतर कार्य न करते हुए सिर्फ मजदूरी तक ही सीमित रह जाते है।

अध्ययन का क्षेत्र : षोध अध्ययन के लिए अलीराजपुर जिले का चयन किया गया है। गिट्टी की खदान मध्यप्रदेष के नवनिर्मित जिला के अन्तर्गत आती है जिले में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र विस्तृत है। अलीराजपुर जिले का भौगोलिक विस्तार 22° 18′ 19″ उत्तरी अक्षांष एवं 74° 21′ 9″ पूर्वी देषान्तर पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई लगभग 430 मीटर है। अलीराजपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,182 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसका घनत्व 2,29 वर्ग किलोमीटर तक है। अलीराजपुर जिला पष्चिमी मध्यप्रदेष में स्थिति है जिले की सीमाएँ गुजरात व महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूती हैं। उत्तर में झाबुआ जिला और पूर्व में धार जिले से लगा हुआ हैं। अलीराजपुर जिले में प्राथमिक रूप से भील, भीलाला, बारेला, पटलिया आदि जनजाति के लोगों की बहुलता है। 17 मई 2008 को जिले का गठन हुआ तथा अलीराजपुर जिला 2, 68, 958 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले की कुल आबादी 7,28,677 है। यहाँ 88.98 प्रतिषत अनुसूचित जनजाति, 4 प्रतिषत अनुसूचित जाति एवं 9 प्रतिषत अन्य जाति के लोग निवास करते है। देष के केन्द्र बिन्दु पर स्थित मध्यप्रदेष में अलीराजपुर जिला पष्चिम में स्थित षोध अध्ययन का क्षेत्र है। यह मूल रूप से जनजाति क्षेत्र जिसके मूल निवासी आदिवासी लोग है।

अध्ययन का उद्देष्य : इस षोध पत्र का मुख्य उद्देष्य गिट्टी की खदान में कार्यरत अनुसूचित जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के साथ उनकी पारिश्रमिक आय तथा खदान में श्रमिक के लिए विभिन्न साधनों का अध्ययन किया गया है।

निदर्शन विधि : अध्ययन में दैव निदर्षन विधि का उपयोग कर अलीराजपुर जिले की गिट्टी की खदान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पष्चिमी क्षेत्र दोनों क्षेत्र में कार्यरत कुल 1000 जनजाति श्रमिक का 30 प्रतिषत अर्थात् 300 श्रमिकों का अध्ययन किया गया है। निदर्षन का चयन खदान विभाग में विद्यमान अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की व्यक्ति सूचना प्रणाली से किया गया।

प्राथमिक आँकड़े – प्राथमिक आँकड़ो का संकलन करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। षोध के उद्देष्य की पूर्ति करने हेतु अनुसूची का सहारा लिया गया है तथा इसके साथ समूह चर्चा और अवलोकन का भी प्रयोग किया गया है। षोध अध्ययन के दौरान संग्रहित प्राथमिक आँकड़ों का मास्टर चार्ट बनाकर तथ्यों का विष्लेषण कम्प्यूटर के द्वारा किया है।

द्वितीयक आँकड़े – षोध अध्ययन हेतु द्वितीयक स्त्रोत का संग्रहण विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखित ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं, इन्टरनेट, जनगणना पुस्तिकाओं, जिला सांख्यिकी विभाग अलीराजपुर आदि को ध्यान में रखते हुए संग्रहित किए गए है।

खदान में श्रमिकों का आर्थिक दृष्टिकोण – गिट्टी की खदान में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति में श्रमिक की मजदूरी दर कार्य करने पर निर्भर करती है। श्रमिक गिट्टी की खदान में कार्य करने के दौरान अपने परिवार का पालन–पोषण के अतिरिक्त इनको आर्थिक जिम्मेदार का दायित्व निभाना पड़ता हैं। जिसके कारण जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्तर में परिवर्तन कठिन प्रतीत होता है। आदिवासी समुदाय के श्रमिक जिले में कई वर्ष से अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वनों से प्राप्त होने वाले फल–फूल का उपयोग करते आये है। सरकार द्वारा वन पर प्रतिबंध लगने के कारण जनजाति श्रमिक की आर्थिक अर्थव्यवस्था में कमी हुई है। जिसके कारण जनजाति श्रमिक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति श्रमिक की कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है जिसके कारण यह जनजाति कृषि कार्य करने के साथ–साथ गिट्टी की खदान में कार्य करते हैं। जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है लेकिन परिवार का आकार बड़ा होने के कारण उनकी बचत कम होती है। जनजाति समुदाय अधिकतर आय का कुछ हिस्सा अन्य मादक वस्तु पर व्यय करते है। जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना एक अत्यंत कठिन कार्य माना जाता है।

श्रमिकों की मजदूरी – कार्यस्थल में श्रमिकों को कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है अलग–अलग कार्य के लिए अलग–अलग मजदूरी मिलती है। इस प्रकार से खदान में कार्य करने के अनुसार इनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। अनुसूचित जनजाति श्रमिक अधिकांष गिट्टी की खदान में कार्यरत है। अध्ययन में जनजाति समुदाय के श्रमिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए खदान में मजदूरी करते है।

तालिका क्रमांक 01

श्रमिकों की मजदूरी का वर्गीकरण

क्र.	श्रमिकों को प्रतिदिन मजदूरी	आवृत्ति	प्रतिषत
1.	150–165	0	0
2.	166–180	6	2
3.	200–250	80	26.6
4.	300–350	118	39.4
5.	400 से अधिक	96	32
	योग	**300**	**100**

ग्राफ क्रमांक 01 श्रमिकों की मजदूरी का वर्गीकरण

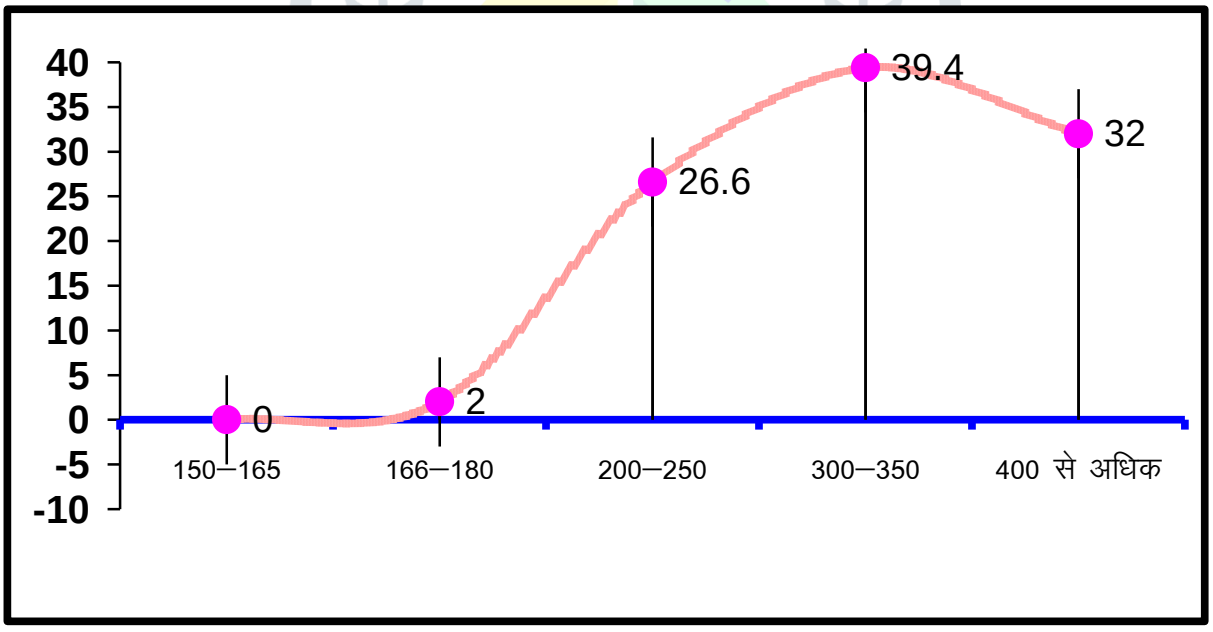

तालिका क्रमांक (01) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित क्षेत्र में श्रमिक 150–165 रू. मजदूरी प्राप्त करने वाले षून्य पाये गये है, 2 प्रतिषत श्रमिक को मजदूरी 166–180 रू. प्राप्त होती है, 26.6 प्रतिषत श्रमिक को मजदूरी 200–250 रू. प्राप्त होती है, 39.4 प्रतिषत श्रमिक को मजदूरी 300–350 रू. मिलती है, तथा 32 प्रतिषत श्रमिक 400 रू. से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं।

अतः अध्ययन क्षेत्र में 39.4 प्रतिषत श्रमिक 300–350 रू. प्राप्त करने वाले सबसे अधिक है। जिसका मुख्य कारण वर्तमान में श्रमिक की मजदूरी दर में परिवर्तन हो रहा है।

मासिक आय – गिट्टी की खदान में श्रमिक की मासिक आय से संबंधित अध्ययन किया गया है। श्रमिक की आय उनके कार्य करने पर आश्रित है। कार्यस्थल में कुल आय का सीधा संबंध श्रमिक के सामाजिक–आर्थिक विकास से

होता है। खदान में कार्यरत श्रमिक का आय के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खदान में कार्य अस्थायित्व की स्थिति में सदैव बना रहता है। तथा श्रमिक का रहन–सहन ही नहीं अपितु जनजाति श्रमिक के कार्य पद्धति एवं भावी योजनाएं भी प्रभावित होती है। षोध अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि श्रमिकों को समय के अनुसार पारिश्रमिक निर्धारित समय पर मिलता है। नीचे तालिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है–

तालिका क्रमांक 02

मासिक आय

क्र.	मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिषत
1.	3000 रू. से कम	0	0
2.	3000–5000 रू.	5	1.7
3.	5000–7000 रू.	46	15.3
4.	7000 रू. से अधिक	249	83
	योग	**300**	**100**

ग्राफ क्रमांक 02 मासिक आय

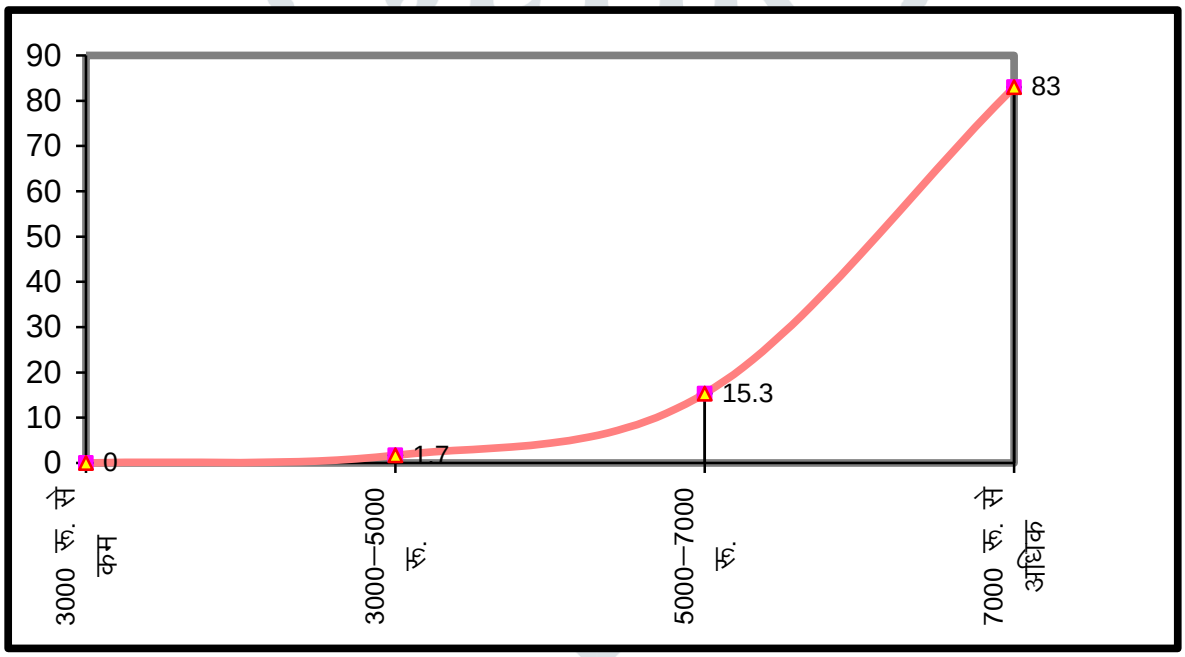

उक्त तालिका क्रमांक (02) के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में श्रमिक 3000 रू. से कम मासिक आय वाले नगण्य पाये गये है। 1.7 प्रतिषत श्रमिक की मासिक आय 3000–5000 रू. है, 15.3 प्रतिषत श्रमिक की मासिक आय 5000–7000 रू. है, 83 प्रतिषत श्रमिकों की मासिक आय 7000 रू. से अधिक है।

निष्कर्ष स्वरूप में कह सकते है कि गिट्टी की खदान में चयनित श्रमिकों में 7000 रू. से अधिक मासिक आय वाले 83 प्रतिषत सर्वाधिक है। क्योंकि वर्तमान समय में महँगाई बढ़ने के कारण मजदूरी में भी वृद्धि होती है।

निष्कर्ष : उपरोक्त विष्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गिट्टी की खदान में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का विष्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया हैं। अध्ययन क्षेत्र में षोध कार्य हेतु गिट्टी की खदान में कार्यरत जनजाति श्रमिकों की आर्थिक दषाएँ पिछड़ी है। आदिवासी समुदाय आर्थिक स्थिति में आत्मनिर्भरता के लिए गिट्टी की खदान में कार्य करते हैं। षोध अध्ययन में गिट्टी की क्रेषर मषीन अधिकांषतः पहाड़ी क्षेत्र में लगाई जाती है। गिट्टी की खदान में कार्य करने से श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होती है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। खदान में पत्थर को मषीन की सहायता से पीसकर गिट्टी बनायी जाती है। अनुसूचित जनजाति के लोग अंधविष्वास एवं रूढ़िवादी परम्पराएँ में विष्वास करती है जिसके चलते व्यक्ति सही समय पर अपनी आय पर ध्यान नहीं देता है। इसके अभाव में अधिक मात्रा में अतिरिक्त खर्च करते है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र विस्तृत नवनिर्मित अलीराजपुर जिला के अन्तर्गत आता है। जनजाति समुदाय जीवन निर्वाह के लिए अन्य कार्य पर अधिक निर्भर

रहते आये है परन्तु वर्तमान में जनजाति कृषि, मजदूरी की ओर बढ़ रहे हैं। खदान में श्रमिक विभिन्न प्रकार के कार्य करते है जिसके कारण श्रमिकों की पारिश्रमिक दर अलग–अलग होती है। जनजाति समुदाय को खदान में कार्य करने से इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है लेकिन परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन नहीं हो पाता है। जिसके कारण श्रमिक कार्य न करते हुए अन्य प्रकार के औद्योगिक कार्य की और हस्तातंरित हो जाते है। गिट्टी की खदान में कार्य करने वाले जनजाति श्रमिक 39.4 प्रतिषत 300–350 रू. प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त करते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक माना जाता है। कार्यस्थल में 83 प्रतिषत श्रमिक 7000 रू. से अधिक मासिक आय प्राप्त करते हैं जिसके कारण श्रमिक की कार्य करने की प्रवृति बढ़ जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. श्रीवास्तव, प्रदीप एवं मुखर्जी, भवानी (2001), ''भारत का जनजातीय जीवन'' प्रियंका पब्लिकेषन्स, बिलासपुर।
2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ (2014), "सामाजिक षोध एवं सांख्यिकी" विवेक प्रकाषन 7–यू.ए., जवाहर नगर, दिल्ली–110007
3. श्रीवास्तव लोकेष (2014), ''जनजातीय परिदृष्य'' यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन्स 22/4735, प्रकाष दीप बिल्डिंग अंसारी रोड़, दरियागंज नई दिल्ली–110002 पेज. नं. 10
4. मुखर्जी कृष्णेन्दु (2003) ''खान व्यवसायिक प्रषिक्षण नियम 1986'' ,जीतबुक स्टोर्स धनबाद।
5. विष्णुदत्त नागर (2014) ''डॉ. आम्बेडकर के आर्थिक विचार और नीतियाँ'', खण्ड दो , मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्य अकादमी रवीद्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल–462 003 पृ. 25,26.
6. तिवारी, षर्मा (1994), ''म. .प्र. की जनजातिय समाज एवं व्यवस्था'', मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रथ अकादमी, भोपाल पृ. 49.
7. अग्रवाल, डी. एन, (1975) श्रम अर्थषास्त्र, कानपुर, किषोरी पब्लिषिंग, हाऊस।
8. लवली, (1983), "खदान एक्ट, जीवन षिक्षा मुद्रालय, वाराणसी।
9. मध्यप्रदेश कल्याण मण्डल भोपाल (2000)
10. मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग, ''वार्षिक प्रतिवेदन" (2002–03)
11. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, अलीराजपुर–2011
12. https://Alirajpur.nic.in